झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या– संचिका संख्या–वाकर/कम्प्यू/विविध/09/2015–2499 /*राँची, दिनांक* – 13/7/15

प्रेषक,

निधि खरे

सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/(अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 3(3)(e) एवं नियम 4(3)(e) के अधीन निबंधन की प्रक्रिया विहित करने के संबंध में।

प्रसंगः– **विभागीय परिपत्र संख्या– 4354 दिनांक 14.11.2012**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक परिपत्र के क्रम में सूचित करना है कि झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 3(3)(e) एवं नियम 4(3)(e) के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में तथा **Ease of Doing Business** के उद्धेश्य हेतु वाणिज्य–कर विभाग में झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के अधीन नियोक्ता/करदाता द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के उपरांत एक दिन की कार्य अवधि में निबंधन प्रमाण–पत्र (**JPT 102/JPT 104**) निर्गत करना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के अधीन निबंधित व्यवसायियों/कर–दाताओं को प्रदत्त 11 अंकों का **Tax Payer's Identification Number (TIN)** ही झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 3(3)(e) प्रदत्त किए जाएंगे। पूर्व में निर्गत 13 अंकों के निबंधन प्रमाण–पत्र (**JPT 102**) को परिवर्तित कर 11 अंकों के **TIN** निर्गत किए जाएंगे।

झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 4(3)(e) के अधीन नियोक्ताओं (**Employer**) को भी 15 अंक के **TIN** के स्थान पर 11 अंक के **TIN** निर्गत किए जाएंगे। पूर्व में निर्गत 15 अंकों के निबंधन प्रमाण–पत्र (**JPT 104**) को परिवर्तित कर 11 अंकों के **TIN** निर्गत किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर **e-governance** के उदेश्य से यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्तन करने हेतु मार्गदर्शन निर्गत किये जा सकेंगे।

विश्वासभाजन

13/7/15

(निधि खरे)

सचिव–सह–आयुक्त।